(vi) संगठन किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लाभार्थ संचालित नहीं होना चाहिए; संगठन के पास ऐसी परियोजनाओं का संचालन करने के लिए प्रमाणित अर्हता और क्षमताएं होनी चाहिए।

8. योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों, आवेदन–पत्रों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा अन्य शर्तों के साथ सहायता की सीमा से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश इस खंड में दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संयुक्त सचिव (समाज रक्षा) तथा नीति आयोग/अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रतिनिधियों के बतौर सदस्य सहित, सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है।

8.1 प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सहायता अनुदान जारी करने के लिए प्रक्रिया–विधि

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान पर कार्रवाई करने के लिए जारी सामान्य दिशा–निर्देशों और समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) – 2017 के संगत प्रावधानों के अनुसरण में विचार किया जाएगा। इस समय प्रचलित दिशा–निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया–विधि अपनाई जाएगी:–

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत/अग्रेषित/संस्तुत किए जाएंगे:–

(i) सभी प्रस्तावों में कवर किए जाने वाले लक्षित समूह के लाभार्थियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(ii) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु सभी नये प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र में सभी संगत दस्तावेजों के साथ संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से ऑनलाइन (http://ngograntsje.gov.in) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iii) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा, जारी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी संगत दस्तावेजों के साथ वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने पर तत्काल राज्य सरकारों को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(iv) नई परियोजनाओं की संस्वीकृति और जारी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान जारी रखने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रस्तावित एजेंसियों, जिसकी जांच इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई है, के आधारभूत कार्यकरण और उपयुक्तता की जांच करनी चाहिए। ऐसे सभी प्रस्तावों पर राज्य सहायता अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाएगा और राज्य सरकार की सिफारिशों को वरीयता विनिर्दिष्ट करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को एक साथ भेज दिया जाएगा। चालू परियोजनाओं के बकाया अनुदान हेतु सिफारिशों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वर्तमान वित्त वर्ष में सहायता अनुदान जारी करने के लिए विशिष्ट सिफारिश होगी।

(v) नये मामलों को अग्रेषित करते समय राज्य/संघ राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा से वंचित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जाए। नये मामलों की जांच करने वाली मंत्रालय की जांच समिति अन्य

(vi) कार्यान्वयन एजेंसी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता प्राप्त होने से पहले में बॉण्ड भरना होगा। मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बॉण्ड को स्वीकृत किए जाने के पश्चात् ही स्थानान्तरण किया जाएगा। तथापि, जारी परियोजनाओं के मामले में निधियां जारी करने के लिए आवेदन उपर्युक्त के अनुसार निष्पादित बॉण्ड संलग्न होना चाहिए।

(vii) **निरीक्षण:**— इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के निरीक्षण का प्रमुख दायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ रा क्षेत्र प्रशासन के पास है। सहायता अनुदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की निरीक्षण रिपोर्ट के आ पर ही जारी किया जाएगा। मंत्रालय समय–समय पर निरीक्षण की प्रकृति, प्रकार और आवधिकता के संबं दिशा–निर्देश जारी करेगा। आवश्यकतानुसार मंत्रालय अपनी स्वयं की एजेंसियों/अपने अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण कर सकता है।

(viii) **अनुदानों की समाप्ति:**— यदि मंत्रालय परियोजना की प्रगति से सहमत नहीं है अथवा वह यह पाए कि कार्यान्वयनक एजेंसियों द्वारा इन नियमों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है, तो मंत्रालय के पास सहायता अनुदान समाप्त क और दण्ड ब्याज सहित पहले से संस्वीकृत सहायता अनुदान की राशि की वसूली करने का अधिकार है।

(ix) **स्थान परिवर्तन:**— परियोजनाओं के स्थान में परिवर्तन केवल मंत्रालय पूर्वानुमोदन से अथवा इस मंत्रालय सूचित करते हुए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।

(x) **ऑन–लाइन प्रोसेसिंग:**— मंत्रालय ने एनजीओ के आवेदन ऑन–लाइन प्रस्तुत करने और इन पर कार्र करने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली की शुरूआत की है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आवेदनों की अपलोडिंग इस स एनआईसी के जिला सूचना केन्द्र द्वारा की जाएगी। जिला सूचना केन्द्र को एनआईसी हेडक्वार्टर द्वारा नये प्रोसेसि मोड के संबंध में उपयुक्त रूप से सलाह दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रोसेस फ्लो के लिए आवेदनों को जि स्तर और राज्य स्तर पर ऑन–लाइन प्रोसेस किया जाएगा, जहां सत्यापन और अनुमोदन जिला स्तर और रा स्तर पर प्रत्येक योजना के लिए नामित अधिकारी द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाएगा। एनजीओ ारा प्रस्तुत किए गए सभी कागजी दस्तावेज (मूल) भौतिक रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा रखे जाएं विभिन्न योजनाओं के तहत सभी आवेदक एनजीओ को प्रथम दृष्टया ऑन–लाइन पंजीकृत करना होगा। जि और राज्य स्तर पर एनआईसी यूनिट संबंधित अधिकारियों के साथ–साथ एनजीओ को यथासंभव सहायता उपल कराए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं के लिए एनजीओ प्रस्ताव ऑन–लाइन आवे और प्रोसेसिंग ट्रैकिंग प्रणाली हेतु उपयोगकर्त्ता नियम–पुस्तिका मंत्रालय के वेब पोर्टल **ngograntsje.gov.in** वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर यथा उपलब्ध आवेदन प्रपत्र संदर्भ हेतु अनुबंध **(अनुबंध–II)** पर दिया ग है। सहायता अनुदान हेतु आवेदन करने से पहले एनजीओ को नीति आयोग के एनजीओ–पीएस पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहिए और आवेदन पत्र के संगत कॉलम में पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

8.2 सहायता के लिए शर्तें

(i) अनुदान ग्राही संगठन/संस्था/स्थापना को केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा अथवा उनके द्व प्राधिकृत एजेंसी/व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए।

(ii) यदि संगठन ने उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, किसी अ सरकारी स्रोत से पहले ही अनुदान प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करने की आशा है, तो

(iii) अनुदान ग्राही संगठन को इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के लिए अलग–अलग लेखे रखने होंगे। ये भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सदैव खुले होंगे। यह आंतरिक लेखापरीक्षा अथवा समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली में प्रकट किए जाएंगे। ये लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए भी खुले रहेंगे।

(iv) अनुदान ग्राही संगठन को सरकारी अनुदान से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्राप्त सभी सम्पत्तियों की रिपोर्ट स्टॉक रजिस्टर में रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर इसे लेखापरीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 (भारत सरकार) के प्रावधान लागू होंगे ।

8.3 इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृह/अन्य परियोजनाओं जिनके लिए सहायता अनुदान मांगा गया है, का पंजीकरण, प्रबंधन और निगरानी

(i) परियोजनाओं का पंजीकरण (योजना के पैरा 4 में उल्लिखित) – सभी संस्थाएं चाहे वे किसी सरकारी/गैर–सरकारी/स्वैच्छिक/निजी संगठन अथवा सोसायटी/न्यास द्वारा संचालित हैं तथा वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल और कल्याण हेतु रिहायशी/अन्य सुविधाएं प्रदान करती है, माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण और कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007, समय–समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नामित पंजीकरण प्राधिकारी के साथ एक सेवा प्रदाता के रूप में ऑनलाइन पंजीकृत होने चाहिए।

(ii) यदि ऐसी पंजीकृत संस्था एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 की धारा 19, समय–समय पर यथा संशोधित, के अंतर्गत यथा परिभाषित आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहती हैं, तो राज्य सरकार समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात ऐसी संस्थाओं के पंजीकरण को रद्द अथवा स्थगित, जैसा मामला हो, कर सकती है।

(iii) केंद्रीय सरकार एमडब्ल्यूपीएसी अधिनियम, 2007, समय–समय पर यथा संशोधित के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक निर्धारित करेगी।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित मानकों का अनुपालन किया जाएगा:–

(क) **पोषण** – पर्याप्त मात्रा, अच्छी गुणवत्ता, **औसत 1700 कैलोरी और 50 ग्राम प्रोटीन वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ** (स्थानीय दशाओं के अनुसार) लाभार्थियों को प्रत्येक दिन प्रदान किया जाना होगा। परियोजनाओं के लिए दलहनों का प्रापण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा यथा संभव अधिकृत सरकारी एजेंसियों/भंडार गृहों से किया जाएगा। दैनिक सांकेतिक मेन्यू निम्नानुसार हो सकता है (स्थान, जलवायु और सहवासियों की परंपरागत भोजन आदतों का ध्यान रखते हुए उपयुक्त परिवर्तनों के अध्यधीन):–

सुबह की चाय	**काफी/चाय और बिस्किट/रस्क/फैन पफ**
नाश्ता	दलिया/कार्नफ्लेक्स (दूध के साथ)/इडली/वड़ा/उपमा/ओट/पोहा/चिवड़ा/पराठा/टोस्ट/पाव/ढोकला (दैनिक) और उबला अंडा अथवा **मौसमी** फल (एक सप्ताह में दो बार)
दोपहर का भोजन	चपाती, चावल, दाल/सांभर, एक हरी सब्जी, दही, सलाद (दैनिक) और विशेष भोजन (शाकाहारी/मांसाहारी) और मिठाई (हलवा/ खीर इत्यादि) (सप्ताह में एक बार)
सांय की चाय	काफी/चाय और बिस्किट/रस्क/फैन पफ
रात्रि का भोजन	चपाती/चावल/डोसा/उत्पम, दाल/सांभर, एक मौसमी सब्जी/खिचड़ी

(ख) **चिकित्सा सुविधाएं/मेडिकेयर** – परियोजना में फर्स्ट एड किट (डॉक्टर की सलाह के अनुसार) ग्लूकोमी बीपी निगरानी मशीन, वजन मशीन तथा दवाएं जैसा कि एक डॉक्टर द्वारा लिखा जाए। जहां तक संभव हो, का आवास परियोजना के निकट होना चाहिए।

जिला प्रशासन के समन्वय से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया चाहिए।

(ग) **शारीरिक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण** – राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत इस यो की परियोजनाओं के लिए लाभार्थियों को व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, दांत, चश्में, क्रेचेस, वाकर्स इत्यादि जैसे उपक लाभार्थियों को प्रदान किए जाने हैं। लाभार्थियों को उपकरण आरवीवाई के दिशा–निर्देशों के अनुसार वितरित जाएंगे।

इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां जिला प्रशासन के माध्यम से भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम (आरवीवाई की कार्यान्वयन एजेंसी) को सहायक यंत्रों की आवश्यकता (आरवीवाई में निर्धारित प्रपत्र में) भेज स हैं। जिला प्रशासन आवश्यकता की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सरकारी चिकित्सकों द्वारा आंकलन के प एलिम्को (इस मंत्रालय को सूचना देते हुए) को यंत्रों की आवश्यकता हेतु आवेदन अग्रेषित करेगा। एलिम्को द्वा उपकरण 60 दिन के भीतर सेंटरों में सहवासियों को प्रदान किए जाएंगे।

इस योजना में जहां कहीं राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कार्यान्वयन एजेंसी है, परियोजना के सहवा के लिए उपकरणों की आवश्यकता सीधे संबंधित जिला प्रशासन द्वारा एलिम्को के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) **मनोरंजन** – प्रत्येक सेंटर पर कार्यान्वयन एजेंसी को पुस्तकें, 3–4 पत्रिकाएं, 2–3 समाचार पत्र (क्षेत्रीय/स्था भाषा में), निकटतम धार्मिक/सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण (एक माह में दो बार), कैरम, शतरंज, ताश जैसे खेल, केबल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन सहित एक कम्प्यूटर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। सभी परियोजना सहवासियों के लिए वाचन हेतु एक पृथक कक्ष होना चाहिए।

(ङ) कार्यान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि योजना में यथा निर्धारित न्यूनतम स्टाफ की सेवाएं प्रत्येक परियो में उपलब्ध हों।

(च) **सुरक्षा** – कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जानी है।

(छ) **कपड़े** – स्थानीय जलवायु, मौसम और परंपरागत मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी सहवासियों को चार कपड़े (सलवार कुर्ता/साड़ी–ब्लाउज–पेटीकोट/शर्ट–पैंट/कुर्ता–पायजामा/धोती–कुर्ता/लुंगी–कुर्ता और कपड़े) प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने चाहिए। प्रत्येक सहवासी को एक तकिया और एक कंबल प्रदान किया अनिवार्य है।

(ज) **कक्ष** – लाभार्थियों के लिए उनके सुगम आवागमन हेतु बिस्तरों के बीच पर्याप्त स्थान के साथ समुचित रो रोशनदानयुक्त कक्ष। लाभार्थियों के सामान के भंडारण हेतु गृह में स्थान उपलब्ध होना चाहिए। फर्श फिसलन होने चाहिए।

(झ) **स्नान गृह और शौचालय** – प्रत्येक परियोजना में महिला और पुरुषों के लिए पृथक–पृथक शौचालय चाहिए। वेस्टर्न स्टाइल फिक्सड/रिमूवेबल कोमोड्स वाला कम से कम एक शौचालय होना चाहिए। प्रत्येक